राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 10/2018
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2018/00037
दायर दिनांक– 19.04.2018
निर्णय दिनांक– 20.10.2023

1. किशना पुत्र छीतर
2. रतना पुत्र छीतर
3. गिरधारी पुत्र छीतर
4. रतनी पत्नि सुवा
5. विश्राम पुत्र सुवा
6. जैराम पुत्र सुवा
7. नन्दू पुत्री सुवा
8. नापा पुत्री सुवा
9. गोटा पुत्री सुवा
10. अन्ना पुत्री सुवा
11. बिला पत्नि सुवा
12. चुकां पत्नि मुकना
13. नोरती पत्नि स्व0 देवा
14. नाबा0 कमल पुत्र स्व0 देवा
15. नाबा0 पुजा पुत्री स्व0 देवा
16. नाबा0 निकी पुत्री स्व0 देवा
17. नाबा0 मोनू पुत्र स्व0 देवा

प्रार्थी संख्या 14 लगायत 17 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता नोरती पत्नि स्व0 देवा सर्वजाति गुर्जर, सर्वनिवासी ग्राम मोरड़ी तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेदव पुत्र रूपा जाति जाट, निवासी ग्राम मोरडी, तहसील रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

.....अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

20.10.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:23:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–उपस्थिति–

1. विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2. अरविन्द कुमार दाधिच अधि0 अप्रार्थी सं. 1

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 71/2 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, 10 बिस्वांसी वाकै ग्राम मोरडी पटवार हल्का मोरड़ी, भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी ख0न0 71/2 के पश्चिम –दक्षिण दिशा में निजी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 74 रकबा बीघा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 की निजी खातेदारी की भूमि ख0न0 74 में से पश्चिम दिशा में ख0न0 73 की सींव मेड के दक्षिण दिशा के सहारे रास्ता बना हुआ है तथा रास्ते के दोनो तरफ डोल लगी हुई है। प्रार्थीगण अपनी खातदेरी की भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ते को उपयोग अपने पूर्वजो के समय से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 74 में से होते हुए उसके आगे लगता हुआ रिकार्डेड रास्ता को जोड़ता है। प्रार्थीगण की ख0न0 71/2 के पश्चिम दिशा में लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 74 है उसके आगे रिकार्डेड रास्ता है प्रार्थीग्ण अपनी कृषि भूमि ख0न0 71/2 में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 74 की पश्चिम सींव मेड़, डोल के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकार्डेड रास्ते तक चाहते है। मुख्य गावांई रास्ता की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0न0 74 की सींव मेड़ के सहारे होते हुए अपने खेत तक जाने वाला रास्ता सबसे सुगम, सुलभ व निकटतम रास्ता है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 71/2 में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0न0 74 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि की पहुंच के लिए अन्य कोई रास्ता/मार्ग उपलब्ध नहीं है। वर्तमान औद्योगिक युग में अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कम से कम 15 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। वकील प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 71/2 के नींव सींव के सहारे सहारे अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 74 में से होकर रिकार्डेड रास्ता तक पहुंचने वाले रास्ते को तरमीम करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अरविन्द कुमार दाधिच उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में (अप्रार्थी संख्या 2) पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ की ओर से जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम मोरडी की जमाबंदी संवत् 2072–75 में खाता संख्या 180 के ख0न0 74 रकबा 2–17 बीघा में रामदेव पुत्र रूपा जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है, जिसमें से प्रार्थी [illegible] है। ख0न0 71/2 में आवागमन हेतु ख0न0 74 में से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते का रकबा [illegible]3–10 बीघा होगा। ग्राम मोरडी के ख0न0 74 की कृषि भूमि किस्म बारानी 2 की डी0एल0सी0 दर 30,70647/– प्रति हेक्टेयर अनुसार 86671/– रू बनती है, जिसकी दुगनी राशि 173343/– रू बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.01.09 13:23:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

20.10.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने उभयपक्ष की वहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी वहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को कृषि कार्य व कृषि यंत्र अपने खेत तक लाने ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वाद–वर्णित खसरा नम्बर की भूमि से रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करावें। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 74 से उपलब्ध रास्ते का सवसे निकटतम व सरलतम वताया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी वहस में निवेदन किया कि रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि के रकवे के वदले प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में से दिलवाने हेतु निवेदन किया। इस पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए रास्ते के रूप में काम में आने वाले भूमि के रकवे के वदले प्रार्थी की भूमि में से उतना ही रकवा अप्रार्थी को दिये जाने बावत् सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0न0 74 में से रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के ख0न0 74 में से 0.0283 हैक्टेयर भूमि गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी संख्या 1 की रास्ते के रूप में काम में आने वाली भूमि के रकवे 0.0283 हैक्टेयर भूमि के वदले प्रार्थीगण की भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 को 0.0283 हैक्टेयर भूमि प्रदत्त करने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रार्थीगण के ख0न0 71/2 (वर्तमान ख0न0 326/71) रकवा 14 वीघा 16 विस्वा 10 विस्वांसी में से 0.0283 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये सहमति प्रार्थना–पत्र में दर्शित नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग होगा।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

20.10.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:23:23 IST
Reason: SelfAttested